कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 319 दिनांकः– 09.2.21

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– लिलो 220 के0भी0 एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ तक ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 34.739 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक संख्या–2604 दिनांक 26.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विभाग द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल **34.739 हे0** वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर कुल 4 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। पृच्छित 4 बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 71 दिनांक 18.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0	पृच्छाऐ	निराकरण प्रतिवेदन
1.	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन में अवस्थित भूमि का Authenticated Land Schedule.	प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन में अवस्थित भूमि का Authenticated Land Schedule. की प्रति संलग्न है। अनु0–01
2.	FRA के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र। (बैठकों की कार्यवाही के साथ)	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्राप्त उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो द्वारा FRA के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र एवं इस क्रम में सम्पन्न बैठकों की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अनु0–04
3.	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु संलग्न प्राक्कलन एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उपयुक्तता प्रमाण--पत्र में पाये गये त्रुटियों में सुधार।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने सूचित किया है, कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल 34.739 हे0 वनभूमि के विरूद्ध 69.478 हे0 का संशोधित क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन अनु0–03 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। अनु0–02
4.	CWLW, झारखण्ड का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 35 दिनांक 06.01.2021 द्वारा मतव्य प्राप्त है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। अनु0–05

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर कुल **34.739** हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। सचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।
अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 319 **दिनांक** 09.2.2021

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अचल, बोकारो/वन प्रमडल पदाधिकारी, बोकारो/M/S JUSNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन (विद्युत) प्रमंडल धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

9.2.21

o/c